न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:—179/25

1. लक्ष्मीदेवी पत्नि कपूरचन्द
2. राजीव कुमार पुत्र कपूरचन्द
3. नरेश कुमार पुत्र कपूरचन्द

सभी जाति वैश्य, निवासी आर्य समाज रोड बयाना, तहसील बयाना

............वादीगण

बनाम

1. विनीता पत्नि वेदप्रकाश
2. विपिन अग्रवाल पुत्र बृजमोहन
3. पवन कुमार पुत्र बृजमोहन
4. बृजमोहन पुत्र बद्रीप्रसाद
5. चिन्तामणी पत्नि बृजमोहन
6. मिथलेश पत्नि वीरेन्द्र

सभी जाति वैश्य, निवासी आर्य समाज रोड बयाना, तहसील बयाना

.............असल प्रतिवादीगण

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना।

..............तरतीवी प्रतिवादी

दावा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज.टी. एक्ट

निर्णय

दिनांकः— 12/01/2026

उपस्थिति— श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा एड0 वादीगण

श्री नरेश गौड एड0 प्रतिवादीगण असल

वादीगण द्वारा यह दावा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खेवट खातोनी जमाबन्दी खाता संख्या नया 15, पुराना 19 के आराजी खसरा नम्बर 41/150 रकवा 0.18, 42 रकवा 0.31, 43 रकवा 0.66, 44 रकवा 0.86, 45 रकवा 0.55, 46 रकवा 0.62, 47 रकवा 0.05, किता 7 कुल रकवा 3.23 हैक्ट. वाके ग्राम बागकनावर तहसील बयाना में स्थित है जिसमें वादिनी संख्या 1 लक्ष्मी पत्नि कपूरचंद 1/6 हिस्से की, वादी संख्या 2 राजीव कुमार पुत्र कपूरचंद 1/6 हिस्से का, वादी संख्या 3 नरेश कुमार पुत्र कपूरचंद 1/6 हिस्स का एवं असल प्रतिवादिनी संख्या 1 विनीता पत्नि वेदप्रकाश 183/1355 हिस्से की, प्रतिवादी संख्या 2 विपिन अग्रवाल पुत्र बृजमोहन अग्रवाल 1/25 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 पवन कुमार अग्रवाल पुत्र बृजमोहन अग्रवाल 1/25 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 4 बृजमोहन पुत्र बद्रीप्रसाद 231/13550 हिस्से का, प्रतिवादिनी संख्या 5 चिन्तामणी पत्नि बृजमोहन 182/1355 हिस्से की, प्रतिवादिनी संख्या 6 मिथलेश पत्नि वीरेन्द्र 182/1355 हिस्से की संयुक्त रूप से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है। उक्त वर्णित आराजीयात वादीगण व असल प्रतिवादीगण की अविभाजित आराजी है जिसका वाई मीटस एण्ड वाउण्ड्रस विभाजन आज तक कभी नहीं हुआ है जिसे मौके पर वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण अपने—अपने निहित हिस्से के अनुसार शामिल शरीक मे काश्त कर अपने—अपने हिस्से की उपज लेते चले आ रहे है। असल प्रतिवादीगण वादीगण से कुछ दिनों से द्वेष रखने लगे है और उन्हें अनावश्यक रूप से उक्त आराजीयात को जोतने बोने में विघ्न व बाधा उत्पन्न करने लगे है तथा विना बटवारा हुऐ उक्त आराजीयात को रहन, वय, मुन्तकिल करने व अच्छी—अच्छी जमीन पर कब्जा करने पर उतारू है। वादीगण ने असल प्रतिवादीगण से दिनांक

उप खण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर) राज

.2025 को उक्त विवादित आराजीयात का उक्त वर्णित हिस्सों के अनुपात से वाईं मीटस बाउण्ड्स मुताबिक रिकार्ड व कब्जे के विभाजन करने को कहा तो असल प्रतिवादीगण ने ...ी तौर पर विभाजन करने से साफ इन्कार कर दिया है, और वादीगण को खुलेआम धमकी है कि हम अच्छी–अच्छी आराजीयात पर लट्ठ व पैसे की ताकत से कब्जा करेंगे अगर कब्जा करने में सफल नहीं हुये तो किसी लट्ठ व पैसे वाले व्यक्तियों को रहन, वय मुन्तकिल कर देंगे तथा तुम्हे तुम्हारे हिस्से को शान्तिपूर्वक काश्त नहीं करने देंगे तथा वादीगण को उनके हिस्से से जबरन बेदखल करके रहेंगे। यदि अच्छी–अच्छी जमीन पर कब्जा करने में सफल नहीं हुए तो उक्त आराजीयात को किसी अन्य दीगर लठैत व्यक्तियों को विक्री कर लट्ठ व पैसे की ताकत से अच्छी–अच्छी जमीन पर कब्जा करा देंगें। वादीगण सीधे सादे शान्त स्वभाव के कानून की पालना करने वाले व्यक्ति है जबकि असल प्रतिवादीगण चतुर चालाक, झगड़ालू, बेईमान किस्म के व्यक्ति है। असल प्रतिवादीगण की जोर जबरदस्ती का मुकाबला करने में कतई असमर्थ है। यदि असल प्रतिवादीगण अपनी उक्त नाजायज मंशा व धमकी में सफल हो गये तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार रूपये पैसों में सम्भव नहीं हो सकेगी और वादीगण व्यर्थ की मुकदमेबाजी मे फस जायेगें इसलिये वादीगण को असल प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद विभाजन का लाना और उन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना लाजिमी हुआ है। अन्त में उक्त वर्णित विवादित आराजीयात वाके ग्राम बाग कनावर तहसील बयाना से जमाबन्दी में दर्ज हिस्से का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी वादीगण के हिस्से व बट का कुरा अलग से बनाया जाकर उसके मुताबिक वादीगण व असल प्रतिवादीगण के कुरे में वर्णित आराजी को कब्जे व दखल में दिलाया जावे व इसी अनुपात से राज लगान कायम कर अलग से खाता कायम कराया जावे। असल प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि उक्त वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर नम्बर 41 / 150 रकवा 0.18, 42 रकवा 0.31, 43 रकवा 0.66, 44 रकवा 0.86, 45 रकवा 0.55, 46 रकवा 0.62, 47 रकवा 0.05, किता 7 कुल रकवा 3.23 हैक्ट. वाके ग्राम बागकनावर तहसील बयाना में वादीगण को उनके हिस्से के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से रूकावट नहीं डाले वादीगण को उनके हिस्से की आराजी पर अनाधिकृत कब्जा कर बेदखल नहीं करे उक्त विवादित आराजीयात के किसी भी हिस्से को रहन, वय, मुन्तकिल नहीं करे। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत निवेदन किया गया।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। असल प्रतिवादीगण की ओर से एड0 श्री नरेश गौड ने दिनांक 25.08.2025 जरिये वकालतनामा उपस्थिति होकर को इकबाल दावा पेश कर दावे में अंकित अधिकाश मदों को स्वीकार करते हुये, वाद वादीगण प्रारम्भिक डिक्री किये जाने में अपनी सहमती जाहिर की थी। प्रकरण दिनांक 10.09.2025 से प्रारम्भिक डिक्री जारी कर कुरेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार बयाना को लिखा गया।

तहसीलदार बयाना ने पत्रांक / LR / 25 / 4509 दिनांक 22.12.25 से प्रकरण में कुरेजात रिपोर्ट न्यायालय हाजा प्रस्तुत की।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों को सुना। एड0 वकुलाय द्वारा प्रकरण कुरेजात रिपोर्ट सही होने एवं प्रकरण को अन्तिम डिक्री किये जाने किये जाने में अपनी सहमती व्यक्त की। हमने पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार बयाना की कुरेजात रिपोर्ट पत्रांक / LR / 25 / 4509 दिनांक 22.12.25 का गहनता से अवलोकन किया। दावा वादीगण स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण को उनके हिस्से के उपयोग–उपभोग किसी भी प्रकार की रूकावट नहीं डालें। अनाधिकृत कब्जा नहीं करें। खसरा नम्बर 41 / 150 रकवा 0.18, 42 रकवा 0.31, 43 रकवा 0.66, 44 रकवा 0.86, 45 रकवा 0.55, 46 रकवा 0.62,

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

कवा 0.05, किता 7 कुल रकवा 3.23 हैक्ट. वाके ग्राम बागकनावर तहसील बयाना कुरेजात
ई अनुसार उभयपक्षकारान का अलग–अलग खाता कायम कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करे।
सीलदार बयाना की कुरेजात रिपोर्ट पत्रांक/ LR /25/4509 दिनांक 22.12.25 निर्णय का
ग रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल
फ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12/01/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय
नाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बयाना
बयाना (भरतपुर) राज